न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 **215/2019**

प्रार्थीगण :–

1. टीकमाराम पुत्र सोनाराम कौम जाट निवासी हीर की ढाणी
2. सीमादेवी पत्नी घेवाराम जाति भाट निवासी पचपदरा
3. सफी मोहम्मद पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी पचपदरा
4. तुलछाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी – कोरना
5. राजो देवी पत्नी शेराराम जाति जाट निवासी कोरना
6. ओमप्रकाश वल्द जसूलाल जाति माली निवासी –खेमे का कुआं जोधपुर
7. विरेन्दसिंह वल्द बिरबलसिंह जाति जाट निवासी माउण्डा खुर्द हाल बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. पुखराज पुत्र चम्पालाल सेंवक निवासी जसोल
2. शान्तादेवी पत्नी मन्शाराम जाति सुथार निवासी बालोतरा
3. ऐलदेवी पत्नी घमण्डाराम जाति भील निवासी –लेणोरो जिला पाली
4. सहकारी समिति कृषि सोसायटी भाटान भीखा वगैरा साकिन खेड़
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा
6.

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्ती बाबत्

'निर्णय'

दिनांक :– 27.04.2021

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि सरहद मौजा रातानाडा पटवार क्षेत्र खेड भू–अभिलेख नि0 क्षेत्र साजियाली में आयी हुई है, उक्त भूमि मूल खेत खसरा नम्बर 300 में बट्टा पर विभाजन किया गया है एवं राजस्व रेकर्ड में मूल खेत खसरा नम्बर 300 में विभाजन कर खसरा नम्बर बट्टा खसरा नम्बर 623/300 राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया । मूल खेत खसरा न0 300 सरहद मौज रातानाडा के विभाजन बट्टा में विप्रार्थीगण संख्या 1 का खसरा नम्बर 624/300 रकबा 40 बीघा, विप्रार्थी संख्या 3 का खेत खसरा नम्बर 633/300 रकबा 40 बीघा है विप्रार्थी संख्या 4 का खेत खसरा नम0 871/300 रकबा 50 बीघा है व शेष खसरा नम्बर 300 के विभाजन बट्टे में राजस्थान सरकार का नाम दर्ज है एवं उक्त भूमि में विभाजन के समय राजस्व रेकर्ड में मूल खसरा नम्बर 300 सरहद मौजा रातनाडा के राजस्व रेकर्ड में तरमीम की गई उस [illegible] व विप्रार्थीगण के काबिज अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम नहीं की गई [illegible] में प्रार्थीगण व विप्रार्थी 1 ता 4 मौके पर काबिज अनुसार [illegible] रहते है जिससे प्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा [illegible] बीघा भूमि में काबिज अनु[illegible] राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये गये खेत खसरा नम्बर 63[illegible]00 व 624/300 के स्थान [illegible] प्रार्थीगण मौके पर काबज है जिससे राजस्व रेकर्ड में विभाजन के स्थान पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज है । प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण मूल खेत खसरा नम्बर 300 में काबिज अनुसार प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' का बरंग आसमानी है जिसका हिस्सा ए.बी.सी.डी

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:29:55 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

है एवं उसी माफिक प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 623/300, 624/300, 637/300, 871/300, 633/300 की राजस्व रेकर्ड में पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त करवाने व मौके पर काबिज अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम को निरस्त करवाकर मौके पर पर काबिज अनुसार तरमीम दर्ज करवाने का निवेदन किया गया ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाये गये। विप्रार्थी संख्या 2 व 3 को रजिस्टर्ड नोटिस भेजने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर रजिस्टर्ड नोटिस को तामील की तारीफ में मानते हुए इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई।

विप्रार्थीगण संख्या 1 व 4 स्वंय उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 व 4 की और से ईकबाली जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी परिशिष्ट 'अ' के माफिक राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है तो हम विप्रार्थीगण को इसमें काई आपत्ती या एतराज नहीं जिस हेतु हम विप्रार्थीगण सहमत है । विप्रार्थीगण संख्या 01 ता 4 न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थीगण के द्वारा चाही गई इस्तदुआ को उपरोक्त आराजी भूमि में तरमीम दुरूस्त करने करने में लिखित में अपनी सहमति प्रकट की गयी। । उप तीसीलदार, जसोल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल मिसल की गई, उप तीसीलदार जसोल से प्राप्त मौका रिपोर्ट खातेदान के मौके पर वास्तविक कब्जे काश्त अनुसार प्राप्त हुई तरमीम दुरूस्ती करने की अनुशंषा की गई है। विप्रार्थी संख्या 05 की और से सराकरी पैरोकार नायब तहसीलदार, जसोल उपस्थित ने जाहिर किया की पक्षकार के द्वारा चाही गई इस्तदुआ में यदि पक्षकार सहमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

हमनें विद्ववान अधिवक्तागण एवं नायब तहसीलदार जसोल की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन यह पाया गया। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई मगर राजस्व रेकर्ड में वर्तमान नक्शे में माफिक कब्जे काश्त अनुसार भूमि तरमीम नहीं की गई । मौका रिपोर्ट के अनुसार संलग्न नजरी नजरी नक्शा के माफिक राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की और से सरकारी पैरोकार उप तहसीलदार जसोल की सहमति के आधार पर स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे सरहद मौजा सरहद मौजा रातानाडा पटवार क्षेत्र खेड भू–अभिलेख नि0 क्षेत्र साजियाली तहसील पचपदरा में खेत खसरा न0 623/300, 624/300, 637/300, 871/300, 633/300 की भूमि गलत की गई तरमीम को प्रार्थना–पत्र के सलग्न प्रस्तुत प्रस्तावित नजरी नक्शा में चिन्हित की गई अनुरूप ही के खसरे में परिवर्तन करवाते हुए तरमीम दुरूस्ती लटठा ट्रेस राजस्व रेकर्ड में करवाकर पालना पन्द्रह योम में भिजवाना सुनिश्चित करे। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सलग्न प्रस्तुत प्रस्तावित नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग होगा।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:29:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 27.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Scanned with CamScanner